Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

बाल श्रम समस्या एवं समाधान : भारतीय परिपेक्ष्य में

डॉ. विभा शर्मा *

* सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) एस.आर.के. राज. स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द (राज.) भारत

प्रस्तावना – बालक समाजरूपी बगिया के खिलते हुए पुष्प एवं राष्ट्र की बहुमूल्य सम्पति है जिस समय में जीवन का निर्माण हो रहा होता है उस समय में बाल श्रमिक के रूप में नियोजन उन बालकों के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षतिकारी होता है।

बाल श्रम के बारे में जब भी हम कुछ सुनते है तो हमारे मन मस्तिष्क में साईकिल का पंचर बनाने वाला चाय की थडी पर गिलास धोने वाले कूडा बीनने वाले की तस्वीर कौधती है। कल-कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अखबार और फेरी लगाने वाले एवं खनन उद्योग में काम कर रहे बच्चों को जिन्हें माता-पिता द्वारा रूपयों के लिए गिरवी रखा हो या इन क्षेत्रों में वे मजदूरी या बिना मजदूरी के काम कर रहे है को बाल श्रम की श्रेणी में माना गया है। भारतीय समाज जो एक कृषि प्रधान समाज है जहां संताने माता पिता के साथ कृषि एवं घर-गृहस्थी के काम में हाथ बंटाते आए है उसको भी कई गैर सरकारी वैश्विक संगठनों द्वारा बाल श्रम की श्रेणी में रख दिया जाता है। बाल श्रम की समस्या समाधान एवं चुनौतियों को जानने के लिए श्रम एवं बाल श्रम के इसी महीन अन्तर को जानना एवं समझना आवश्यक है।

वैश्विक राज्यों के संगठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वालों को बाल श्रम की श्रेणी में माना गया है, वहीं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बाल श्रम की वय 15 वर्ष तय की गई है। भारतीय संविधान में किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कम्पनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5-14 वर्ष की उम्र के बच्चे को बाल श्रमिक माना गया है। बाल श्रम की समस्या केवल भारत तक ही सीमित न ही है वरन इसका स्वरूप वैश्विक है जिसके समाधान के लिए अलग-अलग देशों ने कई कदम उठाए है। इसी क्रम में भारत में भी बाल श्रम को समाप्त करने के उद्देश्य से बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून 1986 कारखाना अधिनियम 1948, खदान अधिनियम 1952, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, पेंसिल पोर्टल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006 जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाकर बाल श्रम उन्मूलन की कोशिशें की गई है जिनसे बाल श्रम की समस्याओं के समाधान को गति एवं प्रगति मिली है परन्तु भारत जैसे विशाल जनांकिकी एवं भौगोलिक विविधताओं वाले देश में अभी इस दिशा में कई समस्याएं है, जिनके समाधान एवं इस ओर आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए काम करना समय की महत्ती आवश्यकता है।

बाल श्रम के सम्बन्ध में सांख्यिकी – जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10.1 मिलीयन बाल श्रमिक है जबकि गैर सरकारी संगठनों के आंकडे इसे 5 करोड बताते है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्टों के अनुसार कोविड महामारी के प्रभाव से बाल श्रमिको की संख्या 160 मिलीयन हो गई है।

भारत के राज्यों में बाल श्रम की स्थिति

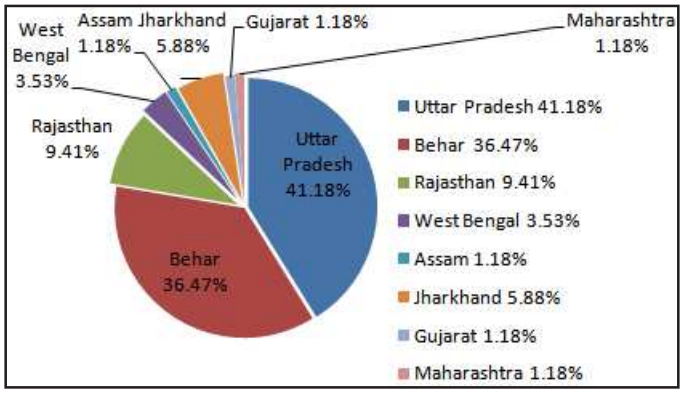

स्त्रोत जनगणना 2011

उपर्युक्त आरेख से स्पष्ट है कि राज्यों की दृष्टि से बाल श्रम में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है उसके बाद बिहार एवं राजस्थान में बाल श्रमिक है, झारखण्ड, गुजरात एवं महाराष्ट्र भी बडी संख्या में बाल श्रमिक वाले राज्य है।

लोकसभा में नवम्बर 2019 में बाल श्रम के सम्बन्ध में पुछे गए एक अतारांकित प्रश्न पर केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा दी गई सूचना में 2018-19 में 4586 निरीक्षण किए गए जिसमें 1325 निरीक्षणों में श्रम कानून उल्लंघन के मामले पाए गए जिनमें से 27 मामलों में अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं शून्य मामलों में आर्थिक दण्ड एवं जेल की सजा दी गई। इन समंकों से स्पष्ट है कि किस तरह अभियोजन पक्ष की कमजोरी एवं कानून में मौजूद कमियों से आरोपियों को अन्ततः सजा नहीं मिल पायी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की रिपोर्टों के अनुसार कोविड महामारी के प्रभाव से बाल श्रमिको की संख्या 160 मिलीयन हो गई है। किन्तु यहां पर पुनः वहीं स्थिति देखने को मिलती है कि क्या पारिवारिक व्यवसायों में हाथ बंटाना क्या बाल श्रम की श्रेणी में सम्मिलित है एवं गैर सरकारी संगठनों, आई एल ओ व यूनिसेफ के प्रतिवेदनों में बाल श्रम के क्या मानक रखे गए हैं।

भारत में बाल श्रम निषेध कानून – स्वतन्त्रता के पूर्व से ही भारत में बालश्रम के सम्बन्ध में वैश्विक संगठनों के प्रयासों से कानून बनाए गए थे

जो भारतीय कारखाना अधिनियमों में सम्मिलित थे, स्वतन्त्रता के पश्चात भारत में संविधान में प्रावधान कर बालश्रम को निषेध किया गया। जिससे हम अपने आस–पास काम कर रहे कम उम्र के बालकों को बालश्रम के दलदल से बाहर निकालकर उनका खोया हुआ बचपन उन्हें लौटाकर एक बेहतरीन नागरिक बना सके।

1. संविधान का अनुच्छेद 23 किसी भी प्रकार के बलात् श्रम को निषिद्ध करता है।
2. अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
3. संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्त का अनुच्छेद 39 बालकों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करता है।

अनुच्छेद 23 एवं 24 को ध्यान में रखते हुए 1986 में भारत सरकार द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून 1986 पारित किया गया जो 14 वर्ष से कम वय के बालकों को जीवन जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में काम करने पर रोक लगाता है।

संविधान के नीति निदेशक सिद्धान्तों के क्रम में 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति तैयार की गई जिसका उद्देश्य बाल श्रम पर प्रतिबन्ध एवं विनियमन के द्वारा बाल श्रम को समाप्त करना, बालकों एवं उनके परिवार के लिए कल्याण एवं विकास कार्यक्रम प्रदान करना और कार्यशील बालकों के लिए शिक्षा एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।

वर्ष 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शुरू की गई जिसमें देश के कतिपय बालश्रम आधिक्य वाले जिलों में इस परियोजना के माध्यम से खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बालकों को पुनर्वासित कराया गया।

इसी को आगे बढाते हुए 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। जिसमें अनुच्छेद 21 ए सम्मिलित कर 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। जिसे 2009 में निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी विस्तार दिया गया।

2017 में शुरू किए गए पेंसिल पोर्टल के द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून 1986 को प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया जिसमें राज्य के सहयोग के साथ ही समाज एवं आम नागरिक का भी सहयोग प्राप्त करना था।

वैश्विक स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार के लिए जारी आधारभूत सिद्धान्तों में बलात श्रम के उन्मूलन पर कन्वेंशन, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन और बाल श्रम के सबसे विकृत रूप पर कन्वेंशन को माना है जिसे भारत द्वारा भी स्वकार किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में बाल श्रम उन्मूलन के लिए 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस घोषित किया गया। 2015 में विश्व के नेताओं द्वारा सतत विकास के लक्ष्य में 2025 तक सभी तरह के बाल श्रम उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया।

बाल श्रम से उत्पन्न समस्याएं – बाल श्रम एक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या है जिसके कारण बालक जहां प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित हो जाता है वहीं अल्प आयु में जोखिम भरे कल कारखानों प्रतिष्ठानों में काम करने से शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पडता है। दासता, बच्चों का विक्रय दुर्व्यापार वेश्यावृति एवं पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण ने गत दशकों में काफी विस्तार कर लिया है जो बालश्रम का जघन्यतम रूप है। बालवय में कार्य करने से बालक मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हो जाता है एवं यह तय है कि भविष्य के आदर्श नागरिक की भूमिका वह सही से नहीं निभा सकता है। वहीं मानसिक एवं शारीरिक विकास में कमी से वह राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी समुन्नत रूप से सहभागी नहीं रह पाता है जो अन्ततः इस प्रतिस्पर्धी युग में पहले स्वयं को उसके बाद समाज एवं राष्ट्र को पीछे धकेलने वाला सिद्ध होता है। बाल श्रम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक गम्भीर चुनौती पैदा कर रहा है। अनौपचारिक घरेलु व्यवसाय एवं कृषि कार्यों से जहां राष्ट्रीय छवि धुमिल हो रही है वहीं कल कारखानों एवं खनन उद्योगों में बालश्रम से बालकों पर गम्भीर तात्कालिक एवं दीर्घगामी प्रभाव पड रहे है। बलात बाल श्रम के साथ ही चाईल्ड पोर्नोग्राफी, वेश्यावृति आदि से बालकों की तस्करी एवं अंगों की तस्करी ने भी बालश्रम के जघन्यतम स्वरूप को उजागर किया है। तात्कालिक रूप से बालश्रम जोखिम भरा नहीं लग सकता है किन्तु बालकों की शिक्षा स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव दीर्घकालिक रूप से निश्चित हीं विनाशकारी होंगे। जिसका परिणाम दुष्चक्रकारी होगा जो गरीबी से शुरू होकर अशिक्षा कौशल विकास का अभाव कम वेतन वाले जीविकापार्जन के साधन, अस्वास्थ्य अल्पायु एवं गरीबी पर समाप्त होगा।

भारत के परिपेक्ष्य में बाल श्रम के कारक – बालश्रम को बढावा देने वाले कारणों में मुख्यतया आय का असमान वितरण, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है। बाल श्रमिकों के जीवन के दुष्चक्र में अल्प शिक्षा, कम आय, बडे परिवार, भूखमरी, काम के लम्बे घंटे, रोजगार की असुरक्षा माता पिता की अज्ञानता ऐसे कई कारक है जो बालश्रम के लिए स्थितियां उत्पन्न करते है और उन्हें बढावा देते है।

भारतमें बाल श्रम का विस्तार एवं प्रारूप – बाल श्रम की व्यापकता हर काल एवं युग में देखी गई है फिर चाहे वह राजशाही हो अथवा ब्रिटीश कालीन शासन या फिर स्वतन्त्र भारत बस अन्तर था तो मात्र समाज की मौजूदा आर्थिक सामाजिक संरचना के आधार पर प्रकृति और आयाम में। भारत में बाल श्रम का लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से आता है एवं बचा खुचा बाल श्रम शहरी कच्ची बस्तियों से आता है। आर्थिक विषमता के इस युग में गरीब जो अत्यधिक दीन–हीन अवस्था में है आज भी इसी मानसिकता पर कायम है कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतने ही ज्यादा अर्थ की पूर्ति का माध्यम होंगे। नतीजतन परिवार में वृद्धि से कुपोषण, अशिक्षा, स्वास्थ्य में कमी एवं जीवन प्रत्याशा में कमी यही दुष्चक्र चलता रहता है और गरीब, गरीब ही बना रहता है। जिससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग बाल श्रम को चाहे अनचाहे स्वीकार करने का मजबूर है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवारों द्वारा जैसे गडरिया चरवाहे के परिवार के बालको द्वारा पारिवारिक कार्य के रूप में गडरिया चरवाहे का कार्य करना हो अथवा कुम्हार, लौहार के बालकों द्वारा मिट्टी खोदने से लेकर थापने, कुटने का कार्य हो इसमें बचपन कहीं रीतता हुआ महसूस होता है। यद्यपि ये पारिवारिक एवं पुश्तैनी कार्य है जिनको करने से उसमें कौशल ही पैदा होता है किन्तु सम्पूर्ण बालपन शिक्षा के इतर यदि इन्हीं कार्यो में बीतता है तो कहीं न कहीं बाल श्रम को बढाता हुआ दिखता है जिसे गैर सरकारी संगठन एवं राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं बढा चढा कर राष्ट्रीय छवि को खराब करते है। कई बाल श्रमिक खनन, बैटरी मरम्मत, वेल्डिंग आरा मशीनों जैसे खतरनाक उद्योगों एवं परिस्थितियों में काम करते है जिनमें काम के दौरान कई बार वे अपनी जान से भी हाथ धो बैठते है एवं कई बार स्थायी रूप से अपंग भी हो जाते है।इस तरह के बाल श्रम

से भावी जीवन पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है एवं अशिक्षा उन्हें भविष्य के लिए भी बेहतर आजीविका के लिए अवसर प्रदान नहीं करता है। बाल श्रमिकों का श्रम के आधार पर वर्गीकरण के सम्बन्ध में जनगणना 2011 के आंकडों के अनुसार 26 प्रतिशत बाल श्रमिक कृषि कार्य से सम्बन्धित है वहीं 32.9 प्रतिशत कृषि मजदूरी से जुडे है। 5.2 प्रतिशत घरेलु उद्योग से सम्बन्धित है एवं 35.8 प्रतिशत इन सबके अतिरिक्त अन्य कार्यों में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत है।

बाल श्रमिकों का श्रम के आधार पर वर्गीकरण

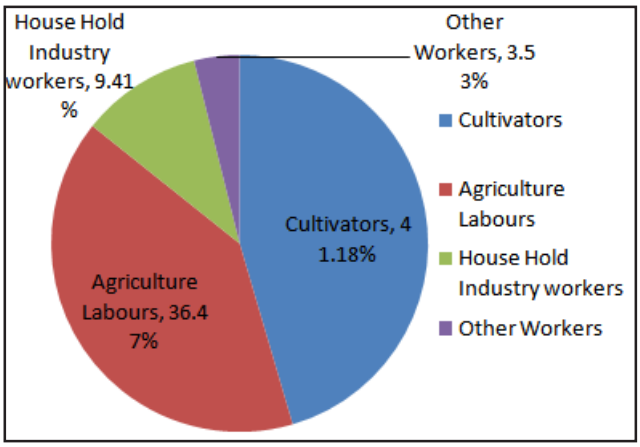

स्त्रोत जनगणना 2011

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवारों के बालक विहीत आयु से कम आयु में जोखिम भरे कल कारखानों एवं खनन उद्योगों में कार्य करने को मजबूर है तो यह कहीं न कही उस परिवार समाज एवं राज्य की बाल श्रम के प्रति असंवदेनशीलता एवं बाल श्रम उन्मूलन नीतियों की असफलता को प्रकट करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के प्रमुख विकल्प कृषि में पारिवारिक कृषि कार्यों में शिक्षा के साथ बालक परिवार का सहयोग करता है एवं कुछ सीखता है तब तक उचित एवं मान्य प्रतीत होता है किन्तु जीविकोपार्जन के लिए यदि बालवय में व्यावसायिक खेती मसलन कपास बीनने, मुंगफली खोदने, तोडने या चाय बागान, बीडी उद्योग आदि कई व्यावसायिक कृषि में रत पाया जाता है जो बालश्रम का विकृत स्वरूप है।

इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों के परिवारों द्वारा बालकों को जीविकोपार्जन के लिए घरेलु नौकरों, कूडा बीनने, होटलों में सफाई आदि कार्यों के लिए लगाया जाता है जो निश्चित ही बालश्रम का रूप है इसके साथ ही छोटे शहरों में माचिस, पीतल, पटाखा उद्योग, कालीन बनाने आदि कार्यों में भी बालकों को आर्थिक विषमताओं से पार पाने के लिए जाने अनजाने धकेल दिया जाता है। वर्तमान की आधुनिक संचार क्रांति/सोशल मीडिया के बेतहाशा उपयोग ने बालकों को अनजाने ही भौतिकता की ओर खींचकर अर्थोपार्जन के लिए मजबूर किया है और अर्थोपार्जन का जरिया अनायास ही बालश्रम को पैदा कर रहा है।

राजस्थान के मेवाड एवं वागड अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों (उदयपुर डूंगरपुर बांसवाडा प्रतापगढ सिरोही जिले) से मौसमी प्रवास एक महत्तवपूर्ण बालश्रम का उदाहरण है जहां के परिवारों के बालक-बालिकाएं कृषि जन्य मजदूरी के लिए गुजरात मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में प्रवास करते पाए गए है। साक्ष्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का प्रवास प्रतिशत बढ रहा है जो बालश्रम की ओर इंगित करता है। बाल श्रम की व्यापकता एवं वृद्धि का महत्वपूर्ण कारक है गरीबी, पारिवारिक कर्ज, माता-पिता की अशिक्षा, परिवारों का बडा होना, बालश्रम का सस्ता होना एवं नियोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप होना।

2001 की जनगणना के अनुसार देश में कुल बालकों 25.2 करोड में से 1.26 करोड बाल श्रमिक थे। 2004-05 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या 90.75 लाख थी जो 2011 की जनगणना में घटकर 43.53 लाख रह गई है। जिससे पता चलता है कि सरकार के प्रयासों का वांछित फल मिला है।

बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में सुझाव – बाल श्रम की समस्या देश के सामने एक चुनौती बनी हुई है, सरकार इस समस्या से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है समस्या की भयावहता और सीमा को देखते हुए यह मूल रूप से गरीबी और अशिक्षा से जुडी एक सामाजिक आर्थिक समस्या है और इसके समाधान के लिए समाज के सभी वर्गो से ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्य किये जाने हेतु सुझाव के निम्न कतिपय बिन्दू:

1. गरीबी, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, जीविकोपार्जन के अल्प वेतन, अशिक्षा, स्वास्थ्य में कमी, सभी बाल श्रम के कारक है एवं दुष्चक्र की भांति एक दूसरे से चलायमान है। सर्वप्रथम परिवारों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना होगा जिससे वे बच्चों को बालश्रम में धकेलने से बच सके।
2. अब्राहम मेस्लो के आवश्यकता पद सोपान को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी कपडा मकान) की पूर्ति की जावे।
3. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की दिशा में दृढतापूर्वक कार्य करते हुए एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही डीबीटी व्यवस्था को मजबूत किया जावे।
4. वयस्कों के लिए रोजगार के अवसर बढाए जावे एवं न्यूनतम वेतन जैसे मापदण्ड लागू करने होंगे।
5. मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उपरान्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी अगले पदसोपान में चिन्हीत कर सुविधाएं प्रदत करनी होगी।
6. अनिवार्य शिक्षा को प्रभावी करते हुए शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता एवं रोजगारपरक शिक्षा दी जावे।
7. शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जावे।
8. पेंसिल पोर्टल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक जनभागीदारी का दायरा विस्तृत किया जावे।
9. भारत में लगभग 80 प्रतिशत बालश्रम ग्रामीण क्षेत्रो से आता है ऐसे में ग्राम पंचायतें बालश्रम को रोकने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकती है।
10. बालश्रम कानूनों के उल्लंघन पर सजा त्वरित एवं व्यवहारिक हो मसलन पकडे गए बालश्रमिकों को उन्हीं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा गोद लेकर आगे की शिक्षा दीक्षा पूरी करायी जाने की जिम्मेदारी दी जावे।
11. वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में सोशल मीडिया प्रचार प्रसार एवं मानसिकता परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, अत: इसके माध्यम से न केवल जनजागरूकता प्रसारित की जा सकती है बल्कि बाल श्रम पाए जाने पर व्वरित कार्यवाही भी की जा कसती है।
12. राज्य द्वारा सामाजिक नागरिक संगठनों, प्रिंट-मीडिया एवं दबाव

समूहों के माध्यम से भी बाल श्रम पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता लायी जाकर प्रभावी भूमिका निभायी जा सकती है।

13. कोविड के बाद के समय में परिवारों के मुखिया अथवा कमाने वाले की असामयिंक मत्यु से परिवारों को आर्थिक संकट एवं जीवनयापन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुझते एवं बाल श्रम को बढते हुए पाया गया है अत: राज्यों को महामारी एवं आपदाओं की स्थिति में त्वरित कार्यवाही करते हुए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करना चाहिए।
14. गैर सरकारी संगठनों जैसे कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउण्डेशन, चाईल्ड फण्ड तलाश एसोसिएशन बचपन बचाओं आन्दोलन जैसे कई संगठन बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कार्यरत है एवं इनके द्वारा सराहनीय कार्य किए गए है किन्तु भारत जैसे विशाल भूभाग वाले देश में सुदूर ग्रामीण एवं वनांचल में ऐसे कतिपय गैर सरकारी संगठन नाकाफी है इन्हें सी.एस.आर. के माध्यम से गांव एवं क्षेत्र गोद लेकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी।

निष्कर्ष – यह तो निश्चित है कि बाल श्रम एक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्या है जिसका निवारण समय पर आवश्यक है अन्यथा हमें पीढियों में इसके नुकसान दिखाई देते रहेगें। बाल श्रम के सम्बन्ध में जारी कई प्रतिवेदनों, कार्यशालाओं में और पाया कि कानूनी प्रावधानों से बाल श्रम में राहत तो मिली है किन्तु उसे वह सफलताएं नहीं मिल सकी जो अपेक्षित थी। भारत सरकार द्वारा संचालित पेंसिल पोर्टल एवं ऐसे ही कई नवाचारों की आवश्यकता है जिससे जनमानस बाल श्रम उन्मूलन से जुडकर इसे वास्तविक धरातल पर साकार कर सके।

बाल श्रम न केवल राष्ट्रीय छवि को धुमिल करता है बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में विकसित एवं सम्पन्न राष्ट्र बनने के लिए बाधक भी बनता है अत: हमे येन केन प्रकरेण विकास के मार्ग में आ रही बाधाओं में से एक बाधक तत्व से नई सदी में पार पाना होगा यही सतत विकास का लक्ष्य भी है आखिर ये बालक ही है जो कल के युवा एवं देश के खिवैया है अत: इनकी जडों को कमजोर कदापि नहीं रखा जा सकता है। सुरक्षित एवं स्वस्थ बचपन से ही सशक्त भारत का निर्माण सम्भव है। बाल श्रम के जड से उन्मूलन के लिए परिवार, नागरिक समाजिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं सरकारों को मिल जुल कर प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करने होगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Jain, Mahaveer and Sangeeta Saraswat (ed. 2004), Child Labour from Different Perspectives, Delhi: Manak publications.
2. Ipsita Priyadarsini Pattanaik Dr. Sinil Kumar Padhi I.J.R.S.S. Vol. 9 Issue 9, September 2019, ISSN: 2249-2496 Magnitude and Nature of Child Labour in Odisha
3. Census of India 2011
4. www.un.org
5. www.ilo.org
6. https://labour.gov.in/

****